BSES YAMUNA BSES RAJDHANI

BSES Bhawan, Nehru Place, New Delhi – 110019

बिजली चोरी पकड़ने गई टीम के काम में बाधा डाला, 3 भेजे गए जेल

बिजली चोरों ने की टीम के सदस्यों के साथ धक्का-मुक्की

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2007। सिर्फ बिजली चोरों को ही जेल ही हवा नहीं खानी पड़ रही है, कानून की गाज उन लोगों पर भी गिर रही है, जो बिजली चोरी पकड़ने गई बीएसईएस एन्फोर्समेंट टीम के कामकाम में बाधा पहुंचा रहे हैं। बिजली की विशेष अदालत ने ऐसे तीन लोगों को तिहाड़ जेल का रास्ता दिखाया है। इन लोगों को 14 दिनों की न्यासियक हिरासत में जेल भेजा गया है।

- बीएसईएस टीम के कामकाज में बाधा पहुंचाने पर नांगलोई निवासी को जेल

लक्ष्मी पार्क, नांगलोई निवासी नरेश सैनी को बिजली चोरी करने, अवैध ढंग से उसका वितरण करने, और छापा मारने गई बीएसईएस टीम के कामकाज में बाधा पहुंचाने के आरोप में जेल भेज दिया गया है। वह नांगलोई के निहाल विहार में अवैध ढंग से बिजली वितरण का काम कर रहा था।

वह नांगलोई स्थित बीएसईएस के ऑफिस में गया और वहां बिजनेस मैनेजर को धमकी दी कि निहाल विहार में छापेमारी रोक दी जाए। क्योंकि वह वहां अवैध तरीके से बिजली वितरण के काम में लगा हुआ था। वह 200 घरों को करीरब 50 किलोवॉट बिजली की सप्लाई कर रहा था। उस पर 15 लाख रूप्ये का जुर्माना किया जा रहा है।

बीएसईएस के एक अधिकारी के अनुसार, नरेश सैनी ऐसे लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रहा था, जो बिजली का सही कनेक्शन लेना चाहते थे। बीएसईएस ने लोगों से अपील की है कि कानूनन सही कनेक्शन ही लें। लोगों को बिजली कनेक्शन देने के लिए बीएसईएस इलाके में कैंप भी लगा रही है।

वैसे, नरेश सैनी का बीएसईएस कर्मियों को धमकाने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने का इतिहास काफी पुराना रहा है। डालिये एक नजरः

- कुछ दिन पहले उसने बीएसईएस के एक बिल वितरक की पिटाई की और धमकी दी कि वह इलाके में दुबारा न घुसे।
- नवंबर के आखिर में उसने बीएसईएस की मीटर आधुनिकीकरण टीम के आधिकारिक दस्तावेज छीन लिए और उसके काम में बाधा पहुंचाया। उसने टीम के सदस्यों को तीन घंटे तक बंधक भी बनाए रखा।
- अगस्त में वह इलाके के बीएसईएस ऑफिस में घुसकर एक कर्मचारी को थप्पड़ मारा, वह भी बिना किसी कारण के। उस वक्त भी एएफआईआर दर्ज कराई गई थी।

शेष पृष्ठ - 2 पर ...

पृष्ठ - 1 का शेष ..

बीएसईएस प्रवक्ता के मुताबिक पिछले 4 सालों में नांगलोई इलाके में 1000 से अधिक बिजली चोरी के मामले पकड़े गए हैं। 10 हजार किलोवॉट की बिजली चोरी पकड़ी गई और 31 करोड़ रूपये का जुर्माना किया गया।

- बीएसईएस टीम के साथ मारपीट में दो गारमेंट फैक्ट्री मालिक भेजे गए जेल

करोल बाग के पास बापा नगर में गारमेंट फैक्ट्री चला रहे दो लोगों भोले और गुरदेव सिंह को बीएसईएस टीम के साथ धक्का-मुक्की करने, ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के काम में बाधा पहुंचाने और बिजली चोरी के आरोप में विशेष बिजली अदालत ने 14 दिनों के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया है। वह करीब 8 किलोवॉट की बिजली चोरी कर रहा था। इसके लिए उस पर 1.5 लाख रूपये का जुर्माना किया जा रहा है।

दरअसल, जब बीएसईएस की एन्फोर्समेंट टीम इस गारमेंट फैक्ट्री की जांच करने पहुंची, तो इन दोनों ने टीम के सदस्यों के साथ धक्का-मुक्की की और उनके आधिकारिक कामकाज में बाधा डाला। इस सिलसिले में प्रसाद नगर थाने में एक एफआईआर (17/07) दर्ज कराई गई है। इन दोनों को गिरफ्तार करके विशेष अदालत में पेश किया गया। वहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

बीएसईएस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे बिजली की चोरी न करें और बीएसईएस टीम के कामकाज में बाधा न पहुंचाएं। यह भारतीय बिजली कानून, 2003 और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दंडनीय कार्य हैं। अधिकारी के मुताबिक बड़े पैमाने पर हो रही बिजली की चोरी से बिजली की आपूर्ति पर असर पड़ता है और कई बार ट्रिपिंग्स की वजह से बिजली गुल हो जाती है। ईमानदार ग्राहकों से अनुरोध है कि वे बिजली चोरी के मामलों की जानकारी देने के लिए 39999 888 (बीवाईपीएल) और 39999 777 (बीआरपीएल) पर फोन करें।

.....

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:

प्रशान्त दुआ
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस
39999870/ 9312007822

चंद्र पी कामत
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस
39999840/ 9350130304